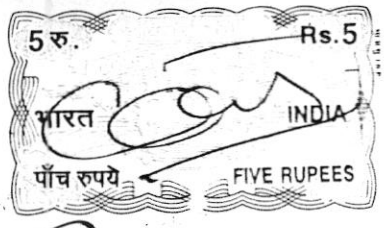

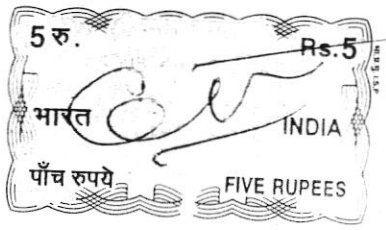

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(66)

न्यायालय म.प्र. राजस्व मण्डल ग्वालियर

पुनरीक्षण क्रमांक : /2010 R-1322-PBR/2010

चन्द्रकांत तेजवानी आत्मज स्व. दीपचंद सिंधी, निवासी--तेजवानी विपरण प्लाजा, नेट क्रमांक--6 (III) प्लाट दशमेश नगर, वाफना नांदेड़, (महाराष्ट्र) द्वारा मुख्त्यारआम नवीन कुमार जैन आत्मज श्री कुन्दन लाल जैन, निवासी--गैरतगंज, तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन (म.प्र.) ----आवेदक

बनाम

नारायण दास आत्मज नेमनदास सिंधी, निवासी--टेकापार कॉलौनी, गैरतगंज, तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन (म.प्र.)

-------अनावेदक

[redacted] 20/9/10 को प्रस्तुत ।

20.09.10

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा राजस्व प्रकरण क्र. --04/अपील/09--10/(नारायण दास विरूद्ध चन्द्रकांत) में अपनाई गयी समस्त कार्यवाहियों की अनियमितता एवं अवैधानिकता तथा पारित आदेश दिनांक 07/09/2010 के विरूद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण ।

20-9-10

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1322/पीबीआर/2010 जिला रायसेन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-07-2018	उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, रायसेन के प्रकरण क्रमांक 4/अपील/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 07.09.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि उभयपक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर विधिवत् नामांतरण आदेश पारित करे। 2/ आवेदक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक प्रकरण में पक्षकार नहीं था एवं विवादित भूमि में उसका कोई स्वत्व नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील करने का अधिकार नहीं था। इस तर्क के समर्थन में 1979 आर.एन. 58 (उच्च न्यायालय), 1965 जे.एल.जे. 1112 (उच्चतम न्यायालय) एवं 1986 आर.एन. 305 न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये। यह भी कहा गया कि अनावेदक द्वारा अपील की अनुमति हेतु आवेदन किया था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनुमति प्रदान नहीं दी गई। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गुणागुण पर पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। इस तर्क के समर्थन में 1983 आर.एन. 119, 1966 आर.एन. 145 एवं 1963 आर.एन. 211 न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये। तर्क में यह भी कहा गया कि अनावेदक द्वारा प्रस्तुत अपील स्पष्टत: अवधि बाह्य थी। ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम परिसीमा के प्रश्न पर विनिश्चयन किये बिना गुण-दोष पर आदेश पारित नहीं किया जा सकता और भले ही परिसीमा के प्रश्न पर आपत्ति भी न की जाये तब भी अधीनस्थ न्यायालय को परिसीमा के प्रश्न पर विनिश्चयन किया जाना आवश्यक है। इस तर्क के समर्थन में 1984 आर.एन. 34 एवं 1989 जे.एल.जे. 641 न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 08.03.2010 को प्रकरण ग्राह्यता के बिंदु पर तर्क हेतु नियत किया गया था एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अनावेदक की तामील हेतु चलता रहा। दिनांक 22.06.2010 को सही पता देने का आदेश, दिनांक 14.07.2010 को अंतिम ज्ञात स्थान पर चस्पा द्वारा तामील का आदेश इस आदेश के पालन में पेशी दिनांक 28.07.2010 सूचना पत्र हीरालाल सिंधी के मकान पर चस्पा नहीं करने दिया। तामीलकर्ता को नोटिस पर टीप अंकित है कि चंद्रकांत/दीपचंद नादेड़ में निवास किया करते हैं। यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सूचना पत्र की तामील के लिए अनुसूची 1 में विहित प्रक्रिया के आज्ञापक उपबंधों का पालन किये बिना उपर्युक्त चस्पा द्वारा अवैध तामील के आधार पर आवेदक के विरूद्ध पारित एकपक्षीय आदेश नितांत अवैध होने से अपास्त किये जाने योग्य है। तर्क में यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अंतरिम प्रकृति का है, जिसके विरूद्ध पुनरीक्षण ग्राह्य है। इसके अतिरिक्त पुनरीक्षण न केवल आदेश अपितु कार्यवाहियों के विरूद्ध भी ग्राह्य है। आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की समस्त कार्यवाहियों के विरूद्ध भी यह	

पुनरीक्षण किया गया है। इस तर्क के समर्थन में 1978 आर.एन. 79 (उच्च न्यायालय), 1978 आर.एन. 393 (खण्डपीठ राजस्व मण्डल) एवं 2006 आर.एन. 330 न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस न्यायालय के समक्ष सीधे पुनरीक्षण ग्राह्य है। इस तर्क के समर्थन में 1989 आर.एन. 46 (पूर्ण न्यायपीठ), 1999 आर.एन. 192 एवं 2006 आर.एन. 38 न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदक का गलत पता देकर न्यायालय को गुमराह किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदक का पता टेकापारगढ़ी, तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन गलत दिया गय है, जबकि इसी वादग्रस्त भूमि के विषय में आवेदक द्वारा जैन मंदिर समिति को किये गये विक्रय के आधार पर तहसील न्यायालय के समक्ष लंबित नामांतरण प्रकरण में प्रस्तुत आपत्ति में आवेदक का सही पता विपरण प्लाजा नेट क्र. 6, (III) प्लाट, दशमेर नगर, नादेड़ (महाराष्ट्र) दर्शाया गया है। उनके द्वारा निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया।

3/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसंगत है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है।

4/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों एव अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख से स्पष्ट है कि तहसीलदार ने नामांतरण नियमों का पालन नहीं किया है, इश्तहार जारी नहीं किया गया एवं पक्षकारों को भी सूचना नहीं दी गई। वारिसों की पूर्ण जानकारी नहीं ली गई थी और ना ही अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष कोई व्यवहार न्यायालय का आदेश प्रस्तुत किया गया। अत: अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पूर्ण जांच के लिए प्रकरण सही प्रत्यावर्तित किया है। आवेदक की अन्य आपत्तियां तकनीकी स्वरूप की हैं, जो प्रकरण के स्वरूप को नहीं बदलती। चूंकि तहसील न्यायालय द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही कर आदेश पारित किया जाना है, जहां आवेदक को पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.09.2010 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

अध्यक्ष